रिश्ते का चुनाव कैसे करें?

डॉ॰ मुहम्मद फ़हीम अख़तर नदवी

विषय-सूची

विषय	पृ॰
रिश्ते का चुनाव कैसे करें?	5
• शादी का दिन	5
• यह चुनाव ज़िन्दगी-भर के लिए होता है	6
• चुनाव का मेयार किस ख़ूबी को बनाया जाए?	7
• दीनदारी को चुनाव का मेयार बनाइए	8
• रिश्ते से पहले क्या करें?	10
• मँगेतर को देख लें	12
• लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर शादी ठीक नहीं है	13
• चुनाव का बिगड़ता हुआ मेयार	14
• मज़हब से बाहर रिश्ता	19
• इन्टरनेट पर रिश्ते की तलाश	21
• माँ-बाप के चुनाव को तरजीह दीजिए	22
• पैग़म्बर (सल्ल॰) की हिदायत– अस्ल रहनुमा	23

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'
'अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है'

रिश्ते का चुनाव कैसे करें?

शादी का दिन

ज़िन्दगी में शादी का दिन बड़ा अहम होता है। उस दिन से एक नई ज़िन्दगी की शुरुआत होती है, उसी दिन एक नए ख़ानदान की बुनियाद भी पड़ती है। शादी के दिन से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत होती है, जिससे ज़्यादा क़रीब और कोई रिश्ता नहीं होता और उस रिश्ते के दायरे में जिस्मानी और नफ़सियाती सुकून हासिल होता है और दिल व निगाह की पाकीज़गी का सामान मुहैया हो जाता है।

इन सारी वजहों की बिना पर शादी का दिन बहुत ही अहमियत रखता है। लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा अहमियत एक और बात को हासिल है, बल्कि शादी के दिन की सारी-की-सारी अहमियत का दारोमदार भी इसी बात पर है और वह है शादी के लिए जीवन-साथी का चुनाव। यह चुनाव ही वह बुनियाद है, जिसपर शादी की ख़ुशनुमा इमारत तामीर होती है। यह बुनियाद सही है तो शादी की इमारत पाएदार और मज़बूत होगी और अगर बुनियाद में कमज़ोरी है तो हालात के सर्द-गर्म झोंकों में वह इमारत हिचकोले खाती रहेगी और मुश्किलों या इख़्तिलाफ़ों (मतभेदों) की आँधियाँ उसे गिरा भी सकती हैं। इसी वजह से शादी के लिए जीवन-साथी का चुनाव शादी के दिन से ज़्यादा अहमियत रखता है और यह बहुत ही सोच-समझकर अंजाम दिए जाने का काम है।

यह चुनाव ज़िन्दगी-भर के लिए होता है

जीवन-साथी का चुनाव इसलिए भी अहम है कि वह ज़िन्दगी-भर के लिए होता है, इसी लिए इसका नाम जीवन-साथी है। अगर ग़ौर किया जाए तो इनसान अपने हर काम में चुनाव (Selection) का तरीक़ा अपनाता है। खाने-पीने की चीज़ों में चुनाव किया जाता है, लिबास और साज-सज्जा में चुनाव से काम लिया जाता है। रिहाइश और उसके साज़ो-सामान में चुनाव किया जाता है। जबकि ये चीज़ें एक वक़्त के लिए, कभी कुछ दिनों के लिए और कहीं कुछ समय सीमा के लिए होती हैं। फिर भी उन चीज़ों को ख़ूब अच्छी तरह देखा और परखा जाता है। उनके बारे में बहुत कुछ मालूमात और जानकारी ली जाती है और ख़ास तौर से यह देखा जाता है कि वे चीज़ें कहाँ तक नुक़सानों से महफ़ूज़ और कितनी फ़ायदेमन्द हो सकती हैं। जब इन वक़्ती चीज़ों के चुनाव में इतने ज़्यादा एहतिमाम से काम लिया जाता है तो समझा जा सकता है कि जीवन-साथी का चुनाव कितनी छानबीन और ग़ौरो-फ़िक्र का हक़दार क़रार पाएगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसे शख़्स का चुनाव है, जिसे पूरी ज़िन्दगी का हमराज़ और दमसाज़ बनना है, जो ज़िन्दगी के सफ़र का वह साथी है, जो उसकी हर ख़ुशी और ग़म में शरीक होगा, जिसके साथ सुबह-शाम का एक-एक पल बीतेगा और जो आपस में दो जिस्म और एक जान बनकर ज़िन्दगी गुज़ारेंगे।

बात अस्ल में यह है कि शादी हमेशा के लिए होती है, यह अगरचे शौहर और बीवी के लिए एक मुआहदा है, लेकिन यह मुआहदा ज़िन्दगी-भर के लिए होता है। इस्लाम यही चाहता है। वह शादी को एक ऐसा बन्धन क़रार देता है, जो बहुत मज़बूत और पक्का हो। क़ुरआन मजीद में शादी के बारे में कहा गया—

"और वे (तुम्हारी बीवियाँ) तुमसे पक्का अहद ले चुकी हैं।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-21)

नबी (सल्ल॰) की तालीमात में कई ऐसी बातें कही गई हैं, जिनका मक़सद यह है कि शादी का रिश्ता मज़बूत और पाएदार हो और शादी में ख़ुशगवारी और पाएदारी बरक़रार रहे। तो जब शादी ज़िन्दगी-भर के लिए होती है तो ज़रूरी है कि रिश्ते का चुनाव भी ज़िन्दगी-भर के लिए हो।

चुनाव का मेयार किस ख़ूबी को बनाया जाए?

यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि यह चुनाव किस तरह हो, जो ज़िन्दगी-भर के लिए बन जाए। चयन करने में किन बातों को नज़र के सामने रखा जाए और उसका क्या मेयार हो, जो रिश्ते में पाएदारी ला सके।

अगर हम अपने समाज पर नज़र डालें और आसपास का जाइज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि लोग रिश्ते के चुनाव में कुछ बातों को सामने रखते हैं। उनमें से एक यह कि आमतौर पर नसब और बिरादरी देखी जाती है, बिरादरी के अन्दर ही रिश्ते की तलाश होती है और बिरादरी से ही आनेवाले रिश्ते को तरजीह दी जाती है। हाँ, तहरीकी ज़ेहन रखनेवाले हलक़ों में इस पाबन्दी से ऊपर उठकर रिश्ते करने की मिसालें भी देखी जाती हैं। दूसरे नम्बर पर आज यह देखा जाता है कि कमाई का ज़रिआ क्या है? अच्छी नौकरी और ऊँचे दर्जे के रहन-सहन और कमाई को चुनाव का मेयार बनाने की कोशिश की जाती है। तीसरे नम्बर पर यह देखा जाता है कि रंग-रूप और हुस्नो-जमाल कैसा है? अच्छी शक्लो-सूरत और ख़ूबसूरती भी रिश्ते के चुनाव का मेयार बनती है। चौथे नम्बर पर तालीम व तहज़ीब और समाजी हैसियत देखी जाती है। अगर आला तालीम, मुहज़्ज़ब घराना और समाज में बावक़ार हैसियत है तो इस बुनियाद पर रिश्ता चुना जाता है। इन चार बातों में सबसे ज़्यादा अहमियत दौलत और मालदारी को दी जाती है। अगर ग़ौर किया जाए तो ये बातें रिश्ते को पाएदार बनाने में कुछ अहमियत तो रख सकती हैं, लेकिन अकेले इन बातों की ही वजह से चुनाव में पुख़्तगी और मज़बूती नहीं आती। इस क़िस्म की ज़ाहिरी चीज़ों को रिश्ते में सामने रखने का रिवाज पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ख़ुद नबी (सल्ल॰) ने एक मौक़े

पर बताया कि लोग रिश्ते के चुनाव में किन-किन बातों को सामने रखते हैं, फिर आप (सल्ल॰) ने वह कारगार नुस्ख़ा भी बताया, जो रिश्ते में पाएदारी लानेवाला और कामयाबी को ज़मानत बनाता है। उसे ही चुनाव का सच्चा व अस्ल मेयार होना चाहिए–

"औरत से निकाह चार चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदानी शर्फ़ की वजह से, उसकी ख़ूबसूरती की वजह से और उसके दीन की वजह से। तो तुम दीनदार औरत को चुनकर कामयाबी हासिल करो, अगर तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगेगी (यानी आख़िर में तुमको अफ़सोस होगा)।" (हदीस:बुख़ारी-5090)

दीनदारी को चुनाव का मेयार बनाइए

अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की यह हदीस बता रही है कि लोग निकाह और शादी में दौलत, ख़ानदानी शर्फ़, ख़ूबसूरती और दीन को देखते हैं, फिर आप (सल्ल॰) ने बताया कि दीन को चुनाव का मेयार बनाना कामयाबी की दलील है।

दीनदारी क्या चीज़ है, जिसको अपनाने की तालीम हम सबके और पूरी इनसानियत के ख़ैरख़ाह नबी (सल्ल॰) ने अल्लाह की हिदायतों की रौशनी में दी है। यह कोई सर्टीफ़िकेट (सनद) नहीं है, जो किसी मदरसे या इदारे से हासिल कर लिया जाए, न ही ख़ानदानी ख़ूबी का नाम है, जो नस्ल-दर-नस्ल चली आ रही हो। ऐसी कोई सनद या ऐसी कोई ख़ानदानी ख़ूबी दीनदारी की ज़ाहिरी पहचान तो हो सकती है, लेकिन अस्ल दीनदारी भी हो, लाज़िमी नहीं। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने दीनदारी के जौहर को अपनाने की तालीम दी है। वह ज़ेहन, फ़िक्र, किरदार और अमल का मिला-जुला रूप है और यह रूप तालीम और तरबियत दोनों के साँचे में ढलकर तैयार होता है। आइए देखें कि दीनदारी की कैसी तशरीह ख़ुद इनसानियत के रहनुमा और सारे जहानवालों के मेहरबान नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाई है। नबी (सल्ल॰) ने कहा–

"दुनिया पूँजी (सरमाया) है और दुनिया की सबसे बेहतरीन पूँजी नेक औरत है।" (हदीसः मुस्लिम- 1467)

नेक बीवी की क्या ख़ूबियाँ हैं? अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

"अल्लाह के ख़ौफ़ के बाद मोमिन ने जो सबसे अच्छी चीज़ हासिल की वह ऐसी नेक बीवी है कि अगर शौहर उसे हुक्म दे तो उसे माने, और अगर उसकी तरफ़ देखे तो खुश कर दे, और अगर वह उस (के भरोसे) पर क़सम खा ले तो उसे सच्चा कर दिखाए और अगर वह मौजूद न हो तो औरत अपनी ज़ात और उसके माल में उसकी ख़ैरख़ाही करे।" (हदीसः इब्ने-माजा-1857)

दीनदारी की यह तशरीह औरत के किरदार और ख़ूबियों के बारे में है, मर्द के किरदार में दीनदारी की प्यारी चीज़ें होनी चाहिएँ वे भी नबी (सल्ल॰) की हदीसों में देखिए, आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

"ईमान के मामले में सबसे मुकम्मल मोमिन वह है, जो सबसे बेहतर अख़लाक़वाला हो और तुम मर्दों में सबसे बेहतर वह है, जो अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो।

(हदीसः तिरमिज़ी-1162)

एक बार आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

बहुत-सी औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर मेरे घरवालों के पास पहुँच रही हैं, ये (मार-पीट करनेवाले) लोग तुममें बेहतरीन लोग नहीं हैं।" (हदीसः अबू-दाऊद-2146)

एक और हदीस में बीवी के हक़ों की निशानदेही करते हुए फ़रमाया—

"जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, चेहरे पर न मारो और बुरा भला न कहो और (किसी नाराज़गी की सूरत में) उससे अलग-थलग न रहो, मगर घर में रहते हुए। (हदीसः अबू-दाऊद-2142)

दीनदारी की ये ख़ूबियाँ किरदार और फ़िक्र का वह मजमूआ है, जिसको रिश्ते के चुनाव में मेयार बनाने की तालीम नबी (सल्ल॰) ने दी है, और यही वह जौहर है जो शादी के रिश्ते में पाएदारी और मज़बूती लाता है। पाएदार और मज़बूत चुनाव के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरी सिफ़तों और ख़ूबियों के मुक़ाबले में दीनदारी की ख़ूबी को तरजीह दें और इस ख़ूबी से नज़र फेर करके दूसरी ख़ूबियों और अच्छी चीज़ों की तलाश में न रहें, बल्कि सबसे पहली ख़ूबी दीनदारी का इत्मीनान हासिल करें, फिर दूसरी अच्छी ख़ूबियों की खोजबीन करें।

रिश्ते से पहले क्या करें?

हमारे समाज में रिवाज और चलन है कि शादी का रिश्ता तय करने से पहले घर के बड़े बुज़ुर्ग एक-दूसरे की मालूमात और जानकारी हासिल करते हैं, फिर लड़का और लड़की को देखने की रस्म पूरी की जाती है। ख़ानदान, परिवार, नाते-रिश्तेदारों और दोस्तों में रिश्ते की बात चलने की ख़बर आम की जाती है, दोनों तरफ़ से इत्मीनान के बाद रिश्ते की बात पक्की की जाती है। अब से पहले तक ऐसा रिवाज शायद नहीं के बराबर था कि लड़का ख़ुद ही लड़की को देख सके, जिसके साथ उसका रिश्ता तय किया जा रहा है। इसी तरह लड़की अपने होनेवाले शौहर को शादी से पहले देख सके, बल्कि ये सारे मरहले घर के बड़े बुज़ुर्ग ही तय करते थे। माँ-बाप का तय किया हुआ रिश्ता बेटे और बेटी के लिए आख़िरी फ़ैसले की हैसियत रखता था और फ़रमाँबरदार औलाद उम्र-भर माँ-बाप के तय किए हुए रिश्ते निभाते थे। इस तरीक़े में उस वक़्त तक कोई हरज नहीं था, जब तक बच्चे ज़ेहनी और अमली तौर पर पूरी तरह क़बूल कर लेते थे और उसके तक़ाज़ों को बड़ी ख़ूबी के साथ अदा करते रहते थे। फिर जब से फ़ोटोग्राफ़ी और तस्वीर का फ़न आम हुआ तो फ़ोटो भेजने का रिवाज चल पड़ा, लड़केवाले लड़की का फ़ोटो मँगाते हैं और पसन्द करने पर नियम के मुताबिक़ लड़की के घर जाकर रिश्ता पक्का करने की रस्म अदा की जाती है। अगर फ़ोटो शरई हिजाब की हद और आदाब के मुताबिक़ है तो रिश्ता माँगनेवालों के यहाँ उसे भेजने में

कोई हरज नहीं है। बड़े शहरों में अब फ़ोटो के साथ बायोडाटा भी भेजा जाता है। यह भी ग़लत नहीं है।

ये तो रही समाजी रिवाज की तफ़सीली बातें, जो इनसानी तजरिबों की रौशनी में अपनाई जाती हैं। इनके अन्दर अपने फ़ायदे भी हैं और बाज़ दफ़ा नारवा सख़्ती के मौक़े पर नुक़सान के इमकान भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे समाजी रिवाज जब तक शरीअत के मामलों और आदाब की पामाली नहीं करते हैं, उन्हें अपनाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन ख़ुद शरीअत ने जो निकाह व शादी के रिश्ते को ख़ुशगवार के साथ-साथ पाएदार भी बनाना चाहती है, रिश्ते से पहले किन क़दमों को उठाने की तजवीज़ रखी है, आइए उनपर भी नज़र डालें।

इस्लाम ने फ़ितरत के तक़ाज़ों को पूरा करने में जो रवैया अपनाया है वह फ़ितरी भी है और उसमें आसानी और व्यापकता भी है। उसने बेजा सख़्ती को सनद नहीं दी है और न ही फ़ितरी तक़ाज़ों को कुचला है। उसने बीच की राह अपनाते हुए इस चीज़ को नज़र में रखा है कि समाज के अन्दर फ़ह्हाशी को कोई जगह न मिले, किसी पाकदामन की इज़्ज़त-आबरू तार-तार न की जा सके। शरीअत ने इस मक़सद के लिए उन रास्तों पर पहले बंदिश लगाई, जो इस बुरे नतीजे तक बराबर पहुँचाते हैं और जिनसे वक़्ती लज़्ज़त के बाद हमेशा की मुसीबत और न ख़त्म होनेवाली परेशानियाँ दामनगीर हो जाती हैं।

शादी के रिश्ते की पाएदारी और ख़ुशगवारी के लिए इनसानियत के हकीम और सारे जहान के रहबर नबी (सल्ल॰) ने दो बुनियादी बातों की तरफ़ ध्यान दिलाया, जिन्हें रिश्ता तय करने से पहले अपनाकर दोनों तरफ़ के लोग एक-दूसरे की तरफ़ से मुत्मइन हो सकते हैं। यह इत्मीनान रिश्ते में मज़बूती डालता है और इसमें हमेशा की पाएदारी पैदा करता है।

मँगेतर को देख लें

पहली बात लड़के के बारे में है कि वह अपनी उस मँगेतर को देख सकता है, जिसके साथ ज़िन्दगी बसर करने का और वफ़ादारी का अह्द वह

बाँधने जा रहा है। अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) ने हज़रत मुग़ीरा-बिन-शुअबा (रज़ि॰) को मश्वरा दिया कि तुम जाकर उस लड़की को देख लो, जिसको तुमने शादी का पैग़ाम दिया है, क्योंकि पहले देख लेने की वजह से तुम्हारे दिल में इत्मीनान की कैफ़ियत पैदा होगी और तुम दोनों मुत्मइन होकर ख़ुशगवार ज़िन्दगी गुज़ारोगे। आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

"तुम उस लड़की को देख लो, बेशक यह चीज़ तुम दोनों के दरमियान मुहब्बत पैदा करने के लिए ज़्यादा मुनासिब है।"

(हदीसः तिरमिज़ी-1087)

एक हदीस में पैग़म्बर (सल्ल॰) ने कहा है—

"जब तुममें से कोई किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे तो हो सके तो वह उस चीज़ को देख ले जो उसे उससे निकाह करने की तरफ़ आमादा कर रही है।" (हदीसः अबू दाऊद-2082)

इस रहनुमाई में और ज़्यादा फ़ैलाव है कि लड़की की शक्ल तो देखी ही जा सकती है, साथ ही उसके सिलसिले में ऐसी मालूमात और तफ़सील भी हासिल की जा सकती है, जिनके बाद उससे शादी का रिश्ता पूरे दिली इत्मीनान के साथ और समझ-बूझकर अंजाम पाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी बात या शक्ल-सूरत के बारे में कोई चीज़ जो रिश्ते से पहले मालूम न हो शादी के बाद इल्म में आती है तो कभी नापसन्दीदगी की वजह बन जाती है और रिश्ते में दराड़ पड़ने लगती है। यही बात अगर पहले से मालूम हो तो इत्मीनान रहता है। ऐसे इमकानी नापसन्दीदगी के अन्देशों को भी दूर कर लेने की तरफ़ रहनुमाई भी नबी (सल्ल॰) की हदीस में मिलती है। आप (सल्ल॰) ने एक सहाबी (रज़ि॰) से कहा कि अनसार क़बीले की औरत से शादी करने जा रहे हो तो यह बात समझ लो कि उनकी आँखों में ऐसा-ऐसा होता है, तुम रिश्ते से पहले इस मामले में इत्मीनान कर लो। हदीस में है—

"एक शख़्स अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास आया और

(यह बात) बताई कि उसने एक अनसारी औरत से शादी (तय) कर ली है। आप (सल्ल॰) ने पूछा कि क्या तुमने उसे देखा है? उसने जवाब दिया, 'नहीं'। आप (सल्ल॰) ने कहा, जाओ उसे देख लो, क्योंकि अनसार की औरतों की आँखों में कुछ है।"

(हदीसः मुस्लिम-3485)

लड़की की मरज़ी के बग़ैर शादी ठीक नहीं है

दूसरी बात लड़की से ताल्लुक़ रखती है। शादी का रिश्ता तय करने में लड़की की राय को ख़ास अहमियत हासिल है। जिस लड़की को अपने माँ-बाप का घर, अपना महल्ला-पड़ोस, माहौल और बचपन की हसीन यादों को पीछे छोड़कर एक ऐसे घर में जाना है। जो उसके लिए अजनबी है और एक ऐसे आदमी के साथ पल-पल की ज़िन्दगी बसर करनी है, जिससे अब तक अनजान थी, कितना ज़रूरी है कि वह लड़की भी अपने होनेवाले शौहर और घर के बारे में अपना कुछ ज़ेहन बना सके और एक तरह का इत्मीनान कर सके। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

"अय्यिम (तलाक़शुदा या विधवा) अपने सिलसिले में अपने वली (सरपरस्त) से ज़्यादा हक़ रखती है (कि अपनी शादी का फ़ैसला ख़ुद करे) और क्वँारी से इजाज़त ली जाएगी, उसकी इजाज़त ख़ामोशी है।"

(हदीसः तिरमिज़ी-1108)

नबी (सल्ल॰) की यह हदीस बता रही है कि रिश्ता तय करने से पहले लड़की से इजाज़त लेना ज़रूरी है। उससे मश्वरा किया जाएगा, और मश्वरे से पहले उसके सामने सारी बातें खोलकर रखी जाएँगी और लड़की की राय ही आख़िरी और फ़ैसलाकुन होगी। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की यह रहनुमाई सिर्फ़ अख़लाक़ी हिदायत नहीं है, बल्कि शरीअत के क़ानूनी हुक्म की हैसियत रखती है। क्योंकि अगर लड़की राज़ी न हो और वह रिश्ते को क़बूल करने से इनकार कर दे तो क़ानूनी तौर पर वह शादी ही ठीक नहीं होगी।

फिर लड़की के मश्वरे और मरज़ी पर जो रिश्ता तय पाएगा उसमें पाएदारी आएगी, जो कि शादी का मक़सद है। लड़की की मरज़ी के बिलकुल उलट ज़बरदस्ती उसपर थोपा गया रिश्ता अपने-आपमें ख़तरे से भरा और नापसन्दीदा नतीजों तक पहुँचानेवाला बन सकता है, भला इस्लामी शरीअत इस नतीजे को कैसे पसन्द कर सकती है! इसलिए उसकी हिदायत है कि रिश्ता तय करने में लड़की की मरज़ी मालूम की जाए, जिसे रिश्ते के सारे सर्द-गर्म हालात से दोचार होना है।

अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की ये दोनों रहनुमाइयाँ शादी के रिश्ते को पाएदार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, इन्हें ज़रूर ही ध्यान में रखना चाहिए, ताकि होनेवाला रिश्ता दोनों के लिए इत्मीनान-बख़्श, ख़ुशगवार और मज़बूती व पाएदारी बढ़ानेवाला साबित हो सके।

चुनाव का बिगड़ता हुआ मेयार

रिश्तों के चुनाव के इस्लामी मेयार पर बातचीत के बाद आइए हम देखें कि आज हमारा इन्तिख़ाब कहाँ तक उस मेयार में पूरा उतर रहा है और ज़िन्दगी के समाजी ढाँचों में तेज़ी से आनेवाली तब्दीलियों से मुतास्सिर होता हुआ हमारा चुनावी मेयार कितना फ़ायदेमन्द है और किस क़द्र नुक़सानदेह है और कहाँ तक वह इस्लामी तालीमात और आदाब के साथ मेल खाता है?

आज अगर ग़ौर से देखा जाए तो अन्दाज़ा होता है कि रिश्ते को चुनने और उसको तय करने में दो-तीन जगहों पर हम ऐसे ग़लत रास्तों पर चल पड़े हैं, जिनकी मंज़िल नामालूम तबाही है और ऐसे रिश्तों के भयानक नतीजे इतने ज़्यादा सामने आने लगे हैं कि समाज कराह उठा है।

पहली बात यह है कि हमने अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की हिकमत भरी हिदायत को पीठ-पीछे डालते हुए मग़रिबी तहज़ीब के बनाए हुए मेयार को अपनाकर दौलत और हैसियत को तरजीह दे दी है और दीनदारी की ख़ूबियों को पीछे डाल दिया है। दौलत और हैसियत दोनों नापाएदार चीज़ें हैं, ये बाक़ी भी रहती हैं और चली भी जाती हैं, फिर जहाँ माल-दौलत और हैसियत इन्तिख़ाब की वजह होती है, वहाँ मुहब्बत दौलतवाले की हस्ती से

क़ायम न होकर दौलत और हैसियत ही से मुहब्बत रह जाती है, ऐसी सूरत में दोनों में सच्ची मुहब्बत और ताल्लुक़ कैसे परवान चढ़ेगा। फिर इसी चुनाव के मेयार को चलता हुआ सिक्का पाकर ग़लत बयानियों से काम लिया जाता है। हैसियत का भरम क़ायम करने के लिए झूठी नुमाइश और दिखावे का सहारा लिया जाता है और औक़ात से बढ़कर कभी नाजाइज़ रास्तों से और कभी क़र्ज़ लेकर दौलत और मालदारी ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है। ये बुनियादें चूँकि खोखली होती हैं, इसलिए बहुत जल्द ज़मीन पर आ जाती हैं, ऐसे रिश्ते टूट-फूट की कगार पर होते हैं और बुनियादों के साथ धराशाई हो जाते हैं। समाज में आए दिन ऐसे मामले हर जगह दिखते हैं।

दूसरे यह कि आज मिले-जुले समाज ने एक ऐसी समाजी बुराई को जन्म दिया है जिसकी तबाहकारियों की आग से पूरी सोसाइटी झुलस रही है। यह बुराई है जिंसपरस्ती (कामुकता) की। ऐसा महसूस होता है कि मग़रिब ने एक सोचे-समझे मंसूबे के तहत माडर्न कल्चर के नाम पर प्रचार-प्रसार के नए-नए तरीक़े, फ़ैशन, मनोरंजन, इन्टरटेनमेन्ट और इशतिहारों की मुहिम बाज़ियों के ज़रिए सेक्स (Sex) और जिंसपरस्ती को समाज पर थोप दिया है। मुस्लिम-समाज को भी इस सड़ान्ध-भरे गढ़े में गिराने की ज़बरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। यह बुराई अब रिश्ते के चुनाव में भी मुहर्रिक (उत्प्रेरक) बनने लगी हैं। स्कूल-कॉलेजों में मख़लूत तालीम (सहशिक्षा) के माहौल में और दूसरी जगहों पर भी नौजवान लड़के-लड़कियाँ जिंसी जज़्बों और एहसासों के तहत आपस में रिश्ते तय कर लेते हैं और फिर कभी माँ-बाप को इसपर आमादा करके और कभी उसके बग़ैर शादी कर लेते हैं। ऐसी शादियाँ ख़ास तौर पर बड़े शहरों में अब आम होती जा रही हैं। चूँकि इन रिश्तों के पीछे संजीदा सोच-विचार और पाएदार बुनियाद नहीं होती है, बल्कि कभी ऐसा भी होता है कि वे जिंसी व कामुकता पर उकसानेवाली चीज़ों से इतने मुतास्सिर होते हैं कि एक-दूसरे के ख़ानदान की तफ़सीली बातों से भी अनजान रहते हैं, बल्कि ख़ुद आपस में एक-दूसरे के स्वभाव और ज़ौक़ से भी नावाक़िफ़ रह जाते हैं, ऐसे रिश्तों में आमतौर पर यह देखा जाता है कि कुछ बरसों, बल्कि कभी कुछ ही महीनों के बाद ही जब जिंसी

उबाल थमता है तो आपस में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद और इख़्तिलाफ़ शुरू होने लगता है जो लगातार बढ़ते-बढ़ते सख़्त नफ़रत और सख़्त बदले की भावना तक पहुँच जाता है। कहाँ शादी-शुदा ज़िन्दगी की ख़ुशगवार मुहब्बत और कहाँ अब दोनों के बीच कड़ी दुश्मनी, फिर मामला कोर्ट के मुक़द्दमों तक और कभी ऐसा भी होता है कि मार-पीट, शोषण और क़त्ल व ग़ारत तक पहुँच जाता है। ऐसे वाकिए इतने आम होते जा रहे हैं कि शायद ही कोई इलाक़ा इन मिसालों से खाली हो। इस्लाम ने ऐसे भयानक अंजाम से बचने के लिए जहाँ शादी को संजीदा सोच-विचार के बाद और मज़बूत बुनियादों पर अंजाम देने की तालीम दी है, वहीं उसने ऐसे जज़्बाती मुहर्रिकों के पैदा होने के रास्तों को भी बन्द किया है, ताकि समाज टूटने-बिखरने से बच सके और इनसानियत अपनी नौजवान नस्ल के क़ीमती सरमाए से और उनकी तामीरी ताक़त से महरूम न हो सके।

शादी के रिश्ते के लिए जिंसी मुहर्रिक को बुनियाद बनानेवाला यह अमल ख़ालिस मग़रिबी नज़रिए को अपनाने का नतीजा है। यह हमारे पहले के मशरिक़ी समाज का भी हिस्सा नहीं है। इस्लाम और उसकी पाकीज़ा तालीमात के माननेवालों के साथ तो इसका दूर का भी कोई वास्ता नहीं बन सकता है। मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों को आख़िरत के अंजाम को सामने रखकर और मोमिनाना सूझ-बूझ से काम लेते हुए हर वह तदबीर अपनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो उन्हें इस घिनौनी फ़हाशी से महफ़ूज़ रख सके और इसी के दिए हुए 'एड्स' जैसी भयानक तबाहकारी बीमारी के उपहार से बचा सके। इस सिलसिले में अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की इस हिदायत और हुक्म को हर हाल में दिल में बसाए रखने की ज़रूरत है—

"कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई में हरगिज़ न रहे क्योंकि वहाँ तीसरा शैतान होता।" (हदीसः तिरमिज़ी-1171)

नौजवान लड़के और लड़की की अकेले में निजी मुलाक़ात और तन्हाई शरीअत के क़ानून में हराम है और इसकी बिलकुल भी इजाज़त नहीं है।

इसी से मिलती-जुलती एक ख़राबी कुछ हलकों में यह घुस आई है कि रिश्ते से पहले नौजवान लड़के-लड़कियाँ आपस में निजी मुलाक़ातें करते हैं, टहलते-घूमते हैं और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब फ़ोन और मोबाइल के ज़माने में आपस में घंटों बातें होती हैं और हँसी-मज़ाक़ की सारी सीमाएँ पार कर ली जाती हैं। कुछ जगहों पर ख़ुद माँ-बाप की तरफ़ से छूट दी जाती है, बल्कि इसका मौक़ा मुहैया करते हैं और इसकी हिम्मत अफ़ज़ाई भी करते हैं। इस सिलसिले में इस बात का लिहाज़ रखना चाहिए कि शरीअत की हदों में रहते हुए मुहज़्ज़ब बातचीत या दूसरों की मौजूदगी में शरई परदे के साथ मुलाक़ात की हद तक गुंजाइश तो समझ में आ सकती है, लेकिन तन्हा घूमना-फिरना और जिंसी बातचीत या लम्बी-लम्बी आपसी बातें करना जैसी चीज़ें बिलकुल नाजाइज़ और मना हैं। इस बारे में अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की हिदायत अभी ऊपर बयान हुई। यही ख़राबी है, जो कुछ जगहों पर यहाँ तक जा पहुँची है कि शादी से पहले ही वे दोनों मुख़्तलिफ़ मग़रिबी नामों और मग़रिबी रीति-रिवाजों के तहत जिंसी लज़्ज़तें हासिल करने लगते हैं, बल्कि जिस्मानी ताल्लुक़ात की आख़िरी हदों को पार कर जाते हैं और फिर कभी ऐसा होता है कि लड़कियाँ पेट से हो जाती हैं या फिर बच्चा गिराती हैं। फिर ऐसा भी होता है कि समाज में बदनामी के डर से, एक-दूसरे से दूर होने लगते हैं, या जिंसी मतलब पूरा कर लेने के बाद एक-दूसरे से उकताने लगते हैं। अब आपस में झगड़े शुरू होने लगते हैं। लड़की या लड़के को रास्ते से हटाने की कोशिश होने लगती है और ज़ुल्म, मार-धाड़ और क़त्ल-ग़ारतगरी की कहानियाँ तैयार हो जाती हैं। इस्लाम इस भयानक अंजाम तक पहुँचने के सारे रास्तों को पहले ही बन्द करता है। इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए जब किसी भी ग़ैर-मर्द या अजबनी के साथ तन्हा इकट्ठा होने से बचा जाएगा तो आगे के ये बिगाड़-फ़साद, ख़राबियाँ, ये गुनाह और ये तबाहियाँ सामने नहीं आएँगी।

तीसरी बात यह है कि रिश्ते का चुनाव जब ज़िन्दगी-भर के लिए होता है तो ज़रूरी है कि पाएदारी पैदा करनेवाले तरीक़ों और वजहों पर भी पूरी तरह नज़र रखी जाए। इस सिलसिले में एक तरफ़ बड़े-बड़े बुज़ुर्गों का मश्वरा और उनकी राय पर अमल अच्छे नतीजों का ज़मानतदार होता है, दूसरी तरफ़ दीनदारी को तरजीह देने की वजह बताते हुए दोनों के बीच मिज़ाज की आपसी इत्तिफ़ाक़ के अस्ल जुज़ का ध्यान रखना चाहिए। शौहर-बीवी के बीच हमआहंगी (तालमेल) किस तरह बरक़रार रहे, यह अस्ल मक़सद चाहा गया है। कभी-कभी सोच-विचारों का इख़्तिलाफ़, समाजी रहन-सहन की सतह में बहुत ज़्यादा फ़र्क़, रहन-सहन और तौर-तरीक़ों में अलग-अलग अन्दाज़ और तालीमी और माली हैसियत में ज़्यादा फ़र्क़, जैसी समाजी चीज़ें भी इख़्तिलाफ़ की वजह बनने लगती हैं और शादी के मनचाहे मक़सद को मुतास्सिर करती हैं। इसके बावजूद ये समाजी चीज़ें अपने-आपमें इतनी अहमियत नहीं रखती हैं कि शरीअत शादी के रिश्ते में इन्हें अपनाने का हुक्म दे। लेकिन शरीअत यह ज़रूर चाहती है कि रिश्ता मज़बूत और पाएदार हो तो जो मामले इस पाएदारी की बुनियाद खोदते हैं उनको ध्यान में रखने की ताकीद शरीअत ने अलग अन्दाज़ से ज़रूर की है। ऐसे मौक़े पर हमें दो में से कोई एक रास्ता लाज़िमी तौर पर अपनाना होगा। या तो दोनों तरफ़ के लोगों में इतनी इस्लामी समझ हो और वे बरदाश्त की ऐसी क़ाबिलियत रखते हों कि इन बुनियादी मामलों में फ़र्क़ को अपने समाजी रहन-सहन और सुलूक में ज़ाहिर न होने दें और ऐसे समाजी फ़र्क़ की वजह से कभी भी शादी के तक़ाज़ों को ज़ख़्म न लगने दें तो यह सबसे ऊँची इस्लामी मिसाल और पैरवी का नमूना होगा। या अगर इस रवैए का मुज़ाहरा कर पाने की क़ुदरत और ताक़त न रखते हों और यह ख़तरा मौजूद हो कि समाजी ऊँच-नीच रिश्ते की पाकीज़गी और आपसी रज़ामन्दी पर मार लगाती रहेगी तो शादी के मक़सद की ख़ातिर वे ऐसी 'बेजोड़' शादी से बचे रहें और पहले ही इस बात का एहतिमाम (प्रबन्ध) करें कि रिश्ता 'जोड़' का हो, यह 'जोड़' जिसे अरबी ज़बान में 'कुफ़्व' कहते हैं, इस्लामी शरीअत में मतलूब

(अपेक्षित) है। क्योंकि यह शादी के रिश्ते के मक़सद को ताक़त पहुँचाता है। देखिए अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

"ऐ अली! तीन चीज़ों में देर न करो, नमाज़ को जब उसका वक़्त हो जाए, जनाज़े को जब आ जाए और औरत (की शादी) जब तुम्हें उसका कोई जोड़ मिल जाए।" (हदीस: तिरमिज़ी-171)

लेकिन अगर दीन की समझ-बूझ और शुऊर इतना बुलन्द हो कि इस 'जोड़' के बग़ैर भी शादी के मक़सद को नज़रन्दाज़ कर बैठने का डर न हो तो इस मौक़े पर इन ज़ाहिरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देना और 'जोड़' की हठभरी तलाश ठीक नहीं होगी।

मज़हब से बाहर रिश्ता

रिश्ते के चुनने में इधर कुछ अर्से से कुछ मुस्लिम हलकों में एक ऐसा रिवाज राह पाने लगा है, जिसके न सिर्फ़ नाजाइज़ होने, बल्कि ज़िन्दगी-भर ज़िनाकारी क़रार पाने में दीन (इस्लाम) के किसी आलिम का इख़्तिलाफ़ नहीं है। वह है ग़ैर-मुस्लिम औरत या ग़ैर-मुस्लिम मर्द से शादी। यह बात बिलकुल वाज़ेह रहनी चाहिए कि एक मुस्लिम औरत की शादी कभी भी और किसी भी सूरत में किसी भी ग़ैर-मुस्लिम मर्द से नहीं हो सकती है। ऐसा रिश्ता कभी भी 'निकाह' का पाकीज़ा नाम नहीं पा सकेगा। इस रिश्ते के बाद जिस्मानी ताल्लुक़ ज़िना ही क़रार पाएगा और इस ज़िना से पैदा होनेवाली औलाद भी सही नस्लवाली साबित नहीं होगी। न उनपर मीरास के इस्लामी क़ानून के हुक्म लागू हो सकेंगे। इसी तरह एक मुस्लिम मर्द के लिए शरीअत का हुक्म है कि वह मुस्लिम औरत को अपनी बीवी बनाए, अहले-किताब (यहूदी और ईसाई) औरतें अगर अपने मज़हब पर अमल करनेवाली और पाकदामन हों तो उनसे मुस्लिम मर्द शादी कर सकता है, लेकिन फिर भी तरजीह मुस्लिम औरत से रिश्ते को दी गई है। देखिए क़ुरआन मजीद ने कितने साफ़ लफ़्ज़ों में हुक्म दिया है—

"तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ शादी न करना, जब तक कि वे ईमान न ले आएँ। एक ईमानवाली लौंडी मुशरिक शरीफ़ज़ादी

से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें बहुत पसन्द हो और अपनी औरतों की शादी मुशरिक मर्दों से कभी न करना, जब तक कि वे ईमान न ले आएँ। एक ईमानवाला ग़ुलाम मुशरिक शरीफ़ज़ादे से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें बहुत पसन्द हो, ये लोग तुम्हें आग की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत (माफ़ी) की तरफ़ बुलाता है।"

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-221)

एक दूसरी जगह फ़रमाया—

"और तुम ख़ुद भी हक़ का इनकार करनेवाली औरतों को अपने निकाह में न रोके रखो।"

(क़ुरआन, सूरा-60 मुम्तहिना, आयत-10)

और फ़रमाया गया—

"पाकदामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वे ईमानवालों के गरोह से हों या उन क़ौमों में से, जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, शर्त यह है कि तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफ़िज़ (हिफ़ाज़त करनेवाला) बनो, न यह कि आज़ाद शह्वतरानी (कामतृप्ति) करने लगो या चोरी-छिपे याराना करने लगो।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-5)

अल्लाह के कलाम की इन पाकीज़ा आयतों ने बिलकुल साफ़ कर दिया है कि मुस्लिम औरत कभी किसी ग़ैर-मुस्लिम मर्द की बीवी नहीं बन सकती है, चाहे वह ग़ैर-मुस्लिम मर्द किसी मज़हब का माननेवाला हो या न हो। और मुस्लिम मर्द सिर्फ़ मुस्लिम औरत ही से शादी कर सकता है और किसी सूरत में ऐसी अहले-किताब औरत के साथ, जो पाकदामन और पाकबाज़ हो शादी की इजाज़त है।

इन्टरनेट पर रिश्ते की तलाश

नई टेक्नोलॉजी ने जहाँ ज़िन्दगी के दूसरे हिस्सों को मुतास्सिर किया है, वहीं रिश्ते की तलाश के लिए भी अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने

गा है, इन्टरनेट खोलिए तो जवान लड़के और लड़कियाँ अपने रिश्ते का ग़ाम बहुत ही दिलचस्प और लुभानेवाले अन्दाज़ से बनाकर पेश करते नज़र आएँगे। इन्टरनेट पर तस्वीरें डाली जाती हैं, निजी जानकारियाँ और ब्रानदान व परिवार की हैसियत बयान की जाती है और अपनी-अपनी पसन्द और तरजीहात का ज़िक्र होता है, जो रिश्ता पसन्द आ जाए तो उससे न्टरनेट पर ही बातचीत शुरू कर दी जाती है, बल्कि नौजवान लड़के-लड़कियाँ ख़ुद ही एक-दूसरे से बिलकुल आज़ादी से बातचीत और पसन्द-नापसन्द के ख़यालों का आदान-प्रदान करते हैं। यह बातचीत कभी-कभी कई जगहों पर चलती रहती है और जब दोनों एक-दूसरे को पसन्द कर लेते हैं तब रिश्ते की कार्रवाई शुरू की जाती है।

सच्चाई यह है कि इन्टरनेट पर तय किए जानेवाले इन रिश्तों में कई तरह के शरई बिगाड़ और गुनाह के कामों के अलावा ख़ुद समाजी एतिबार से भी इनकी कोई मज़बूत बुनियाद नहीं होती है और आमतौर पर ऐसी शादियाँ आख़िरकार नाकामी पर ख़त्म हो जाती हैं। इन्टरनेट और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए से किए जानेवाले रिश्तों में ज़्यादातर धोखा, ग़लतबयानी और झूठ की मिलावट होती है और इन रिश्तों के भयानक अंजाम की दर्दनाक और रंज और ग़म से भरी तफ़सीली बातें आएदिन सामने आती रहती हैं।

दीनी शुऊर और समझ-बूझ रखनेवालों को अच्छी तरह यक़ीन कर लेना चाहिए कि ख़ूबसूरत सजी-सजाई तस्वीरों को ग़ैर-मर्दों के देखने के लिए इन्टरनेट पर डालना गुनाह का काम है। इसी तरह अजनबी लड़के-लड़की का आपस में सारे मामलों पर खुले तौर पर बातचीत का तबादला करना और छोटी हँसी-मज़ाक़ से लेकर जिंसी मामलों तक पर बात-चीत करना भी नाजाइज़ और हराम है। यह ऐसा ही है जैसे किसी अजनबी औरत के साथ कोई मर्द तन्हाई में इकट्ठा हो, जिसका हराम होना पीछे बयान हो चुका है। फिर झूठी बातों पर तय पानेवाला रिश्ता सच्चाई खुलते ही खोखला हो जाता है और नफ़रत और दुश्मनी के माहौल में जुदा और एक-दूसरे से अलग होने के लिए भाग-दौड़ शुरू हो जाती है। हाँ अगर इन ख़राबियों और बिगाड़ से

बचते हुए शरई हदों और आदाब के दायरे में रहकर कोई आदमी रिश्ते की तलाश और शादी की अंजामदेही में आज की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो इस्लाम ने इसपर पाबन्दी नहीं रखी है।

माँ-बाप के चुनाव को तरजीह दीजिए

अब तक की इस तफ़सीली बहस से इस बात का ब-ख़ूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि शादी के रिश्ते को पाएदार और साथ ही ख़ुशगवार और इत्मीनानवाला बनाने के लिए इस्लामी शरीअत ने किस-किस तरह बेहतरीन हिदायतें दी हैं और कोई भी ज़रूरी पहलू ख़ाली नहीं रहने दिया है। शरीअत की आम हिदायतों का ख़ुलासा अगर निकाला जाए और लम्बे इनसानी तजरिबों को सामने रखा जाए तो कहा जा सकता है कि आम हालात में इनसान को प्यारे और मेहरबान माँ-बाप के चुनाव को तरजीह देनी चाहिए। माँ-बाप ख़ुद भी बच्चों से मश्वरा करेंगे, उन्हें सभी बातों से आगाह करेंगे और उनकी मरज़ी मालूम करेंगे। बच्चे अपनी मरज़ी और पसन्द के इज़हार के साथ माँ-बाप के तजरिबों और उनकी प्यार और मुहब्बतभरी पसन्द को अहमियत दें। दोनों की रज़ामन्दी से जो रिश्ता होगा इन-शा अल्लाह (अल्लाह ने चाहा) उसमें भलाई और ख़ैर होगी। इसी ख़ैर (भलाई) की दुआ शादी की तक़रीब (समारोह) के बाद पढ़ने की तालीम प्यारे नबी (सल्ल॰) ने दी है—

बा-रकल्लाहु ल-क व बा-र-क अलै-क व ज-म-अ बै-नकुमा फ़िल-ख़ैर

"अल्लाह तुझे बरकत अता करे, तुझपर बरकत नाज़िल फ़रमाए और तुम दोनों को ख़ैर पर जमा करे।"

(हदीसः तिरमिज़ी-1091)

ऐसा इमकान छोटे पैमाने पर सही ज़रूर हो सकता है कि माँ-बाप बच्चों के फ़ायदे और आगे आनेवाली ज़िन्दगी को नज़रन्दाज़ करते हुए किसी वक़्ती फ़ायदे के तहत ऐसी जगह उनका रिश्ता तय कर रहे हों जहाँ बच्चों के लिए ज़िन्दगी ख़ुशगवार न रहे और नतीजे के तौर पर पाएदारी न आ

सके, ऐसे मौक़े पर शरीअत ने पूरी कुशादादिली के साथ औलाद को इजाज़त दी है कि वह प्यार और मुहब्बत से खाली माँ-बाप के फ़ैसले को तसलीम न करें। ऐसा ही एक वाक़िआ ख़ुद अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) के सामने पेश आया और आप (सल्ल॰) ने उस निकाह को सिरे से ख़त्म करवा दिया। (हदीसः बुख़ारी-5138)

पैग़म्बर (सल्ल॰) की हिदायत– अस्ल रहनुमा

ग़ौर से देखा जाए तो ज़िन्दगी क्या है? एक लगातार तजरिबे का नाम है। इनसान ख़ुद अपने-आपमें बहुत ही ज़ालिम और जाहिल के सिवा और क्या है, इसी लिए इनसानी तजरिबे महफ़ूज़ रखे जाते हैं और आनेवाली नस्ल पिछले तजरिबों से फ़ायदा उठाती है। इस्लाम ने उन तजरिबों से फ़ायदा उठाने को सही क़रार दिया है। लेकिन शरीअत इनसानों की भलाई, इसलाह, तरक़्क़ी और नजात (मुक्ति) के लिए आई है और इनसान को पैदा करनेवाला ख़ुदा इनसान की हर क़िस्म की ज़रूरतों और आगे आनेवाले इमकानों से वाक़िफ़ है, इसलिए उसने इनसानों पर रहम करते हुए उसे ज़िन्दगी के ऐसे तरीक़े से आगाह कर दिया, जो उसकी दुनिया को भी ख़ुशियों से भर दे और आख़िरत में भी कामयाबी से हमकिनार कर दे। शरीअत की बताई हुई ज़िन्दगी की राह ही इनसान की फ़ितरत और उसकी ज़रूरत है, जिसके राज़ गुज़रती ज़िन्दगी के दिनों के साथ खुलते चले जाते हैं। वह आदमी बड़ा समझदार है जो इस ज़िन्दगी का राही बन जाए और इस डगर पर चलकर अपनी मनचाही अस्ल मंज़िल को पा ले, यही ज़िन्दगी की राह, नबी (सल्ल॰) ने बताई है और उसी की कुछ झलकियाँ इस लेख में पेश की गई हैं।

दूसरे मसलों की तरह रिश्ते चुनने के सिलसिले में भी हम अगर नबी (सल्ल॰) की हिदायतों को रहनुमा बना लें तो हमारे घरों में बहार आ जाए, हमारे रिश्ते ख़ुशगवार हो जाएँ और हम शादी की पाएदार लज़्ज़तों और ख़ुशियों से मालामाल हो जाएँ।

आइए हम अहद करें कि मग़रिब से आए हुए तौर-तरीक़ों को हम

मग़रिबवालों ही को लौटा देंगे। हम रिश्ते के चुनाव में अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की हिदायत को ही अपना रहनुमा बनाएँगे और उस पालनहार रब की राह पर चलकर हम अपने समाज की ऐसी ख़ुशगवार तामीर करेंगे कि अपने अंजाम से तबाह हाल मग़रिब भी उसी नमूने को अपनाने में अपने मर्ज़ की दवा और अपनी बीमारी का इलाज समझने पर मजबूर हो जाएगा।